Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to declare Minimum Support Price for farm produce in a time-bound manner.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : देश की सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छा कदम उठा रही है। जैसे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृाि सिंचाई योजना एवं मृदा परीक्षण योजना इत्यादि, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और किसान खुशहाल हो। फिर भी कई ऐसे मजबूर गरीब किसान हैं, जो जरूरतों को पूरा करने, अपने कर्ज चुकानें, घर परिवार चलाने हेतू अपनी तैयार फसल को बाजार में व्यापारियों के पास कम कीमत में बेच देते हैं। व्यापारी वर्ग द्वारा उत्पादन लागत से कम कीमत पर तैयार फसल को खरीदने से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और छोटे व्यापारियों को उनकी लागत के बराबर तैयार फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है और न ही उन्हें लाभकरी मूल्य मिल पाता है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जीएसटी की तरह पूरे देश में किसानों के कपास, गेहूं, चना, मूंग इत्यादि कृाि फसलों के दाम एक समान होना चाहिए और जैसे ही खेत से किसान अपने उत्पादित कृाि फसल को निकालता है उसी समय न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से घोाित करना चाहिए ताकि किसान का कभी भी शोाण न हो सके और उसे उपने उत्पादित माल का लाभकारी मूल्य मिल सके साथ ही साथ मेरी भारत सरकार से मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को खेत से पैदावर मिलने के तुरंत बाद घोाित करना चाहिए क्योंकि पैदावर के दो महीने के भीतर छोटा किसान अपनी उपज का बड़े व्यापारियों द्वारा वित्त पोाित छोटे व्यापारियों को बेच देता है क्योंकि फसल को स्टोरेज करने की क्षमता छोटे किसानों में नहीं होती और न ही उनके पास समुचित गोदाम होते हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि किसानों की उपज खेत में आने के तुरंत बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोाणा सरकार को किसान हित में करनी चाहिए।